न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांक 19.11.2020

प्रकरण संख्या–224 / 2019

अनवान

मांगू पिता किशना जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0

................वादी

।। बनाम ।।

1. प्रभूबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
2. रामीबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
3. गंगाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
4. हेमाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
5. पुजाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
6. उदीबाई बेवा गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

...............प्रतिवादीगण

दावा– इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा व बंटवारा बाबत।

उपस्थितः–वादी की और सेः– अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र मैनारिया,
प्रतिवादीगण की और सेः– अधिवक्ता श्री योगेश सोलंकी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मंतथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वाद पत्र धारा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा व बंटवारा आराजीयात हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वाके मोजा कन्नौज प0ह0 कन्नौज तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 में खाता सं0 457 की निम्न लिखित आराजीयात हैः–

भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आ0नं0	रकबा हेक्टेयर में	लगान रू0–पैसे
2064	0.8000	06.40
2065	0.4400	01.76
कुल किता 2	कुल रकबा 1.2400 हेक्टेयर	कुल लगान 08.16 रूपये

पुष्टि में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की।

उक्त आराजीयात वादी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पिता प्रतिवादी सं0 6 के पति गुलाब जी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण के पिता गुलाब जी का देहान्त दिनांक 01–02–2019 को हो गया हैं तथा वादी अपने 1/2 हक हिस्से पर एवं प्रतिवादीगण गुलाब जी के कानूनी वैध उत्तराधिकारी होकर गुलाब जी के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसके राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब जी की जाति मेघवाल के बजाए मीणा अंकित कर दी गई, जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब जी की जाति मेघवाल है, इसलिये वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब जी की जाति राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी में मीणा के बजाय मेघवाल कर इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी सं0 1 ता 6 गुलाब जी के वैध उत्तराधिकारी वारिस है, इसलिये वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हक हिस्से की घोषणा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के नाम पर की जावे एवं शेष 1/2 हक हिस्से की घोषणा वादी के नाम पर की जावें व इसी अनुसार बंटवारा अलग अलग कराया जावे।

न्यायालय द्वारा वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित हुए और वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा दिनांक 19.11.2020 को प्रस्तुत किया और वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा का व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा दक्षिण दिशा वाला घोषित कर इसी अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया और इसी अनुसार वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 संवत 2072 से 2075 की प्रस्तुत की व मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी प्रदर्श 3, आधारकार्ड प्रदर्श 4 प्रस्तुत किया एवं स्वयं वादी ने अपना शपथ पत्र पी0ड01 के रूप में वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया व शपथपत्र द्वारा वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यो की पुष्टि की।

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने अपने आधारकार्ड प्रस्तुत किये जिसमें रामीबाई का आधारकार्ड प्रदर्श डी.1, उदीबाई का आधारकार्ड प्रदर्श डी.2, प्रभूबाई का आधारकार्ड प्रदर्श डी.3, गंगाबाई का आधारकार्ड प्रदर्श डी. 4, हेमलता का आधार कार्ड प्रदर्श डी. 5, पूजाबाई का आधारकार्ड प्रदर्श डी. 6 हैं एवं प्रतिवादीगण ने साक्ष्य हेतू संयुक्त रूप से शपथ पत्र पेश कर राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री करने व राजीनामा में लिखे अनुसार वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा अनुसार खाते व बंटवारा करने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत की।

मैने बहस वकील वादी सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी, आधारकार्ड, मिलान क्षैत्रफल, राजीनामा एवं शपथपत्र पर मनन करने के पश्चात् वादी का वाद हस्ब राजीनामा अनुसार डिक्री कतई किया जाकर वादपत्र की चरण सं0 1 में अंकित खाता सं0 457 की आराजीयात नं0 2064 व 2065 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2400 हेक्टैयर में वादी 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा का घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1/2 हक हिस्सा दक्षिण दिशा का घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जाता हैं एवं राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब जी की जाति मीणा के बजाय मेघवाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतू निर्णय व डिक्री पारित की जाती हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से मुर्तिब किया जावे । फाईल फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो। तहसीलदार भदेसर को आदेशित किया जाता है कि वो डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजीयात का अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजु शर्मा , आर0ए0एस0,

मांगू पिता किशना जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0

................वादी

।। बनाम ।।

1. प्रभूबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
2. रामीबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
3. गंगाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
4. हेमाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
5. पुजाबाई पुत्री गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
6. उदीबाई बेवा गुलाब जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0निम्बाहेडा हाल मु0 केसरपुरा तह0 भदेसर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

................प्रतिवादीगण

दावा– इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा व बंटवारा बाबत

प्रकरण सं0. 224/2019 ई0रे0

वादी की ओर से वकील श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया एवं प्रतिवादी की ओर से वकील श्री योगेन्द्र सोंलकी की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 19.11.2020 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी का वाद हस्ब राजीनामा अनुसार डिक्री कतई किया जाकर वादपत्र की चरण सं0 1 में अंकित खाता सं0 457 की आराजीयात नं0 2064 व 2065 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2400 हेक्टैयर में वादी 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा का घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1/2 हक हिस्सा दक्षिण दिशा का घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जाता हैं एवं राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता व पति गुलाब जी की जाति मीणा के बजाय मेघवाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतू निर्णय व डिक्री पारित की जाती हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 19–11–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner